एक ही ओर पीला

4/18 पत्रावली कॉमन कोर्ट में पेश हुई। कॉमन कोर्ट में प्रतिवादी
क्र.प्रा. सं. 10 को वाद पत्र में है। प्रतिवादी सं. 10
ओमप्रकाश पुत्र कुंडेशाराम को विवादित आबादी की
आवंटित निषेधाज्ञा दि. 16.4.18 से उनके हिस्से
तक मुक्त किया जाता है। शेष क्र.प्रा. एवं प्रा.
को सं. फैसला बाद पाबन्द किया जाता है। फैसला
रिकॉर्ड की व्यवस्था से बाद में रखें।

उप
परिसीमन
[illegible]
[illegible]

Scanned by CamScanner